फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 219/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/226) **श्री भंवरलाल खटीक बनाम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेमारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. कोई उपस्थित नहीं - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2 3. स्वयं - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** 1. **श्री भंवरलाल पिता श्री भेरा खटीक, निवासी सेमारी, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेमारी, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर।** 2. **राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सेमारी, जिला उदयपुर।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के भूमि आंवटित किये जाने के आदेश क्रमांक प.12/3(20)राज./आवं/16/359-62 दिनांक 16.02.2018** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 06.08.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर के भूमि आंवटित किये जाने के आदेश क्रमांक प.12/3(20)राज./आवं/16/359-62 दिनांक 16.02.2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार सेमारी द्वारा पंचायत समिति सेमारी के भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के तहत 99 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टाघृती के आधार पर निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव मय अभिशंषा जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रेषित की। संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग, जयपुर के पत्रांक 6(92)राज-3/15 जयपुर दिनांक 04.02.2016 द्वारा प्रदत्त राजकीय स्वीकृति के अनुसरण में तहसील सेमारी की चारागाह आराजी नम्बर 5555 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5556 रकबा 0.5600 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 5626 रकबा 0.8000 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.0800 हैक्टेयर चारागाह भूमि की किस्म खारिज कर पंचायत समिति के भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रामंक प.6(10)राज/6/99/2 दिनांक 13.02.2001 एवं राजस्व ग्रुप-6 प.10(3)राज-6/2001/16 दिनांक 17.04.2013 व अधिसूचना क्रमांक 4.6(25)राज-6/2014/12 दिनांक 08.05.2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 219/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/226) **श्री भंवरलाल खटीक बनाम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेमारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उदयपुर द्वारा 99 वर्ष की लीज अवधि पर विभिन्न शर्तो के अधीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेमारी उदयपुर को निशुल्क उक्त भूमि आवंटित किये जाने का आदेश दिनांक 16.02.2016 को पारित किया और इसी आदेश के तहत चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम सेमारी के बिलानाम आराजी नम्बर 1 रकबा 23.0300 हैक्टेयर भूमि में से 2.0800 हैक्टेयर बिलानाम भूमि से चारागाह घोषित करने का आदेश प्रसारित किया।

उक्त आदेश दिनांक 16.02.2016 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष 1809.2018 को बेरून मयाद प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी का संलग्न किया गया, जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। राजस्व ग्रुप-6 विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त प्रकरण स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्राप्त हुआ। तदुपरांत कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश दिनांक 06.09.2023 से जिला सलुम्बर, राजसमंद का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रदान किये जाने से प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 31.07.2024 को प्रत्यर्थी-1 व प्रत्यर्थी-2 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित, परन्तु अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया जो निर्णय दिनांक तक अप्राप्त। प्रत्यर्थी-1 की ओर से जवाब प्रस्तुत जिस शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायहित अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में प्रस्तुत आक्षेपों का उल्लेख किया जाना उचित है। अपील मेमों में अपीलार्थी द्वारा कथन प्रस्तुत किये गये कि कि उक्त आवंटन आवंटी को आवंटन नियमों के विपरित बगैर किसी कोरम के बगैर किसी प्राक्लेमेशन तथा बगैर किसी कब्जा को सुपुर्द किये किया गया है। आवंटित भूमि पर अपीलार्थी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा करीब 50-60 वर्षों से चला आ रहा है फिर भी रेस्पोडेंट ने पटवारी हल्का और सरपंच से मिलकर उक्त आराजी का गलत रूप से आवंटन करवा लिया। आवंटन किये जाने हेतू ऑक्यूपाईड व अन ऑक्युपाईड भूमि की लिस्ट तैयार नहीं की गई। कथित आवंटन से पूर्व किसी प्रकार का प्राक्लोमेशन जारी नहीं किया गया था अपीलान्ट का विगत 50-60 वर्षों से कब्जा है। अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। आवंटन से पूर्व ग्राम पंचायत से कोई अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को रेस्पोडेंट की ओर से आये सहकर्मचारी के 20.08.2018 को कब्जा हटा लेने की धमकी से प्राप्त हुई और जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 सीपीसी के पेश की गई। उक्त आवंटन आदेश से अपीलार्थी के हक व अधिकार प्रभावित होते है, उसे अधिनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पेश किया गया। अंत में अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आवंटन निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी-1 की ओर से अतिरिक्त विकास अधिकारी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त आवंटन पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है, नियमानुसार चारागाह की क्षतिपूर्ति की गई। पंचायत समिति कार्यालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 219/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/226) **श्री भंवरलाल खटीक बनाम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेमारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भवन का निर्माण भी हो चुका है एवं जनहित में काम आ रही है। आवंटन से पूर्व ग्राम पंचायत की सहमति भी प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है। आवंटित भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं थी। वर्तमान में पंचायत का भवन बना होकर परिसर में वृक्षारोपण एवं चारदिवारी बनी हुई है। भूमि के आवंटन में अपीलार्थी को कोई हक प्रभावित नहीं हुआ है, न ही उसे कोई नुकसान हुआ है। उक्त अपील मयाद बाधित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावें।

प्रत्यर्थी तहसीलदार, सेमारी की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय पेरोकार ने अपने बहस में प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई। मौके पर आवंटी को कब्जा को सूपुर्द कर दिया गया है, मौके पर पंचायत भवन का निर्माण हो चुका है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध नहीं है। इन बिन्दुओं पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत हम यहां सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं धारा-5 मयाद अधिनियम पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक समझते है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति होने के संबंध में विभिन्न उजरात प्रस्तुत किये जिसके खण्डन में प्रत्यर्थीगण द्वारा दृढ़ता से अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट हुई है कि अपीलाधीन आदेश आराजी नम्बर 5555 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5556 रकबा 0.5600 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 5626 रकबा 0.8000 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.0800 हैक्टेयर के आवंटन के संबंध में पारित किया गया है। सवप्रर्थम यह मुख्य रूप से देखा जाना अपेक्षित है कि आवेदित आराजी नम्बर 5555 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5556 रकबा 0.5600 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 5626 रकबा 0.8000 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.0800 हैक्टेयर कभी भी अपीलार्थी के नाम दर्ज रहा है या नहीं। इस संबंध में अभिलेखों पर ऐसा कोई दस्तावेज न तो उपलब्ध है, न ही प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करता हो कि अपीलार्थी आवेदित भूमि का कभी खातेदार काश्तकार रहा हो, या उसके कब्जे में रही हो। इसके अतिरिक्त यह भूमि कभी भी अपीलार्थी की पैतृक भूमि रही हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 219/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/226) **श्री भंवरलाल खटीक बनाम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेमारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति जाहिर नहीं होता है क्योंकि विवादित आराजीयात कभी भी उनके व्यक्तिगत नाम से खातेदारी दर्ज नहीं थी और न ही वह इस भूमि पर मालिक होकर काबिज है। साथ ही उनके कोई वैधानिक अधिकार प्रकट नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार्य योग्य नहीं है। मयाद के बिन्दु पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा अपने अपने कथन प्रस्तुत किये जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख उज्र प्रस्तुत किया जिसके खण्डन के अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी आरम्भ से होने का कथन प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी गई। हस्तगत प्रकरण में हम न्यायहित में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार सेमारी द्वारा पंचायत समिति सेमारी के भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 219/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/226) **श्री भंवरलाल खटीक बनाम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेमारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का आवंटन) नियम, 1963 के तहत 99 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टाघृती के आधार पर निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव मय अभिशंषा जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रेषित की। संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग, जयपुर के पत्रांक 6(92)राज-3/15 जयपुर दिनांक 04.02.2016 द्वारा प्रदत्त राजकीय स्वीकृति के अनुसरण में तहसील सेमारी की चारागाह आराजी नम्बर 5555 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5556 रकबा 0.5600 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 5626 रकबा 0.8000 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.0800 हैक्टेयर चारागाह भूमि की किस्म खारिज कर पंचायत समिति के भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 6(10)राज/6/99/2 दिनांक 13.02.2001 एवं राजस्व ग्रुप-6 प. 10(3)राज-6/2001/16 दिनांक 17.04.2013 व अधिसूचना क्रमांक 4. 6(25)राज-6/2014/12 दिनांक 08.05.2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा 99 वर्ष की लीज अवधि पर विभिन्न शर्तो के अधीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेमारी उदयपुर को निशुल्क उक्त भूमि आवंटित किये जाने का आदेश दिनांक 16.02.2016 को पारित किया और इसी आदेश के तहत चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम सेमारी के बिलानाम आराजी नम्बर 1 रकबा 23.0300 हैक्टेयर भूमि में से 2.0800 हैक्टेयर बिलानाम भूमि से चारागाह घोषित करने का आदेश प्रसारित किया। इस न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का विधि की रोशनी में सम्यक परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किए गए है, जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता हो कि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का पिछले 50-60 वर्षो से निरन्तर कब्जाकाश्त उपलब्ध हो। बिना नियमित कब्जे के अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया आलोच्य प्रार्थना पत्र बलहीन होना प्रकट होता है। अपीलार्थी ने आलोच्य आवंटन को मात्र कब्जे के बिन्दु के आधार पर निरस्त कराने की प्रार्थना की है। जबकि अविधिक आवंटन जैसे कि तथ्यों को छिपाना, भूमिहीन का तथ्य व धोखे से आवंटन करवाये जाने बाबत तथ्यों का समावेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) में नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी पर पिछले 50-60 वर्षो से निरन्तर कब्जे के तौर पर किसी प्रकार की साक्ष्य अपीलार्थी ने पेश नहीं की है। आर.आर.टी-2009(1) पेज-220, आर.आर.टी.-2009(2) पेज-1299 में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि "land in possession of Tresspasser can not be treated as occupied land" और हमारा विनम्र मत है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के बावजुद उक्त भूमि को अनाधिवासित भूमि माना जाना चाहिए और हमारे इस मत की पुष्टि उक्त न्यायिक दृष्टांत करते है। हम यहां अंकित करना चाहते है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह प्रकट करता है कि आवंटित आराजी कभी उनके या उनके परिवार के अन्य सदस्य के नाम रही हो और न ही राजस्व अभिलेख से यह प्रकट होता है। उपरोक्त तथ्य अपीलार्थी की राजकीय भूमि पर अवैध कब्जे की मशा का प्रकट करता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5(44) के अनुसार महज एक अतिक्रमी की है, जिससे कोई वैधानिक अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होते है। आर.बी.जे. 2017 पेज 167 में प्रकट किये गये अभिमत "Illegal possession on Govt.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 219/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/226) **श्री भंवरलाल खटीक बनाम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेमारी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Agricultural Land is no possession in the eye by Law" से भी हम पूर्णतया सहमत है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ना ही आवंटन उपरान्त आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **परिणामतः अपील अपीलान्ट मयाद बाधित होने, अपीलार्थी के व्यथित व्यक्ति नहीं होने से एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का अपीलाधीन आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। (सी.आर.देवासी, R.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	